Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 6 | ISSN : 2581- 6306

कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में भारत के संघीय ढांचे की भूमिका

डॉ. सुधीर कुमार गढ़वाल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, देशबंधु महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।

Article Info
Volume 4, Issue 6
Page Number : 197-207

Publication Issue :
November-December-2021

Article History
Received : 15 Nov 2021
Published : 30 Nov 2021

शोधसारांश–*कोविड–19 महामारी ने भारत के संघीय ढांचे की जटिलताओं, सीमाओं और संभावनाओं को उजागर किया। भारतीय संविधान में वर्णित सहकारी संघवाद के सिद्धांतों के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों और शक्तियों का वितरण महामारी प्रबंधन के दौरान एक केंद्रीय मुद्दा बनकर उभरा। आपदा प्रबंधन अधिनियम,* 2005 *के तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक समान दिशा–निर्देश लागू किए, जिससे राज्यों की स्वतंत्र कार्यप्रणाली कुछ हद तक सीमित हुई। इसके बावजूद, राज्यों ने स्थानीय संदर्भों और संसाधनों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं, लॉकडाउन नीतियों, टीकाकरण अभियान और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केरलऔरमहाराष्ट्र जैसे राज्यों के नवाचारों ने महामारी प्रबंधन के विविध मॉडल प्रस्तुत किए। वहीं दूसरी ओर, संसाधनों की असमानता, डेटा साझाकरण में कमी और राजनीतिक असहमति के कारण कई बार नीति समन्वय में बाधा उत्पन्न हुई। कोविड–19 के अनुभवों ने यह स्पष्ट किया कि भारत के संघीय ढांचे को अधिक लचीला, उत्तरदायी और समन्वयात्मक बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर जब बात होती है जनस्वास्थ्य जैसे समवर्ती विषय की। केंद्र–राज्य संबंधों के पुनर्परिभाषण, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण, और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है। इस शोधपत्र में भारत के संघीय ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों में सहकारी संघवाद ही एक व्यावहारिक और संतुलित समाधान प्रदान कर सकता है।*

सांकेतिक शब्द: कोविड–19 प्रबंधन, केंद्र–राज्य समन्वय, आपदा प्रबंधन अधिनियम, स्वास्थ्य नीति, विकेन्द्रीकरण, भारत का संघीय ढांचा।

1. परिचय- कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर की शासन प्रणालियों को इस प्रकार की अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने के साथ ही साथ एक मजबूत ढांचा भी प्रदान किया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल देश में,इसमहामारी ने संघीय ढांचे की मजबूती और लचीलेपन का परीक्षण किया है। संघवाद भारतीय शासन प्रणाली का

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

एक मौलिक सिद्धांत है, जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है (देशपांडे एट अल. 2018)। कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और कभी-कभी तनाव ने भारतीय संघवाद की जटिलताओं को उजागर किया है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य कोविड-19 संकट के दौरान भारतीय संघीय ढांचे की भूमिका का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन भारत के संवैधानिक प्रावधानों, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रभाव, और महामारी के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों की गतिशीलता पर विशेष ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध पत्र वास्तविक घटनाओं का विश्लेषण करता है जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और संघर्ष शामिल हैं, और अन्य संघीय प्रणालियों के साथ तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।महामारी प्रबंधन में संघवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैक्योंकिमहामारी जैसी आपात स्थितियों के दौरान, संघीय प्रणाली बहु-स्तरीय प्रतिक्रिया तंत्र प्रदान करती है जो स्थानीय जरूरतों के अनुरूप नीतियों को अपनाने की अनुमति देती है। भारत के संदर्भ में, साहूऔर घोष (2021) ने दर्शाया कि कोविड-19 महामारी ने भारतीय संघवाद के सामने अनेक चुनौतियां पेश कीं, जिनमें वित्तीय संसाधनों का वितरण, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन, और विभिन्न सरकारी स्तरों के बीच समन्वय शामिल है।

यह आलेख न केवल कोविड-19 के दौरान भारतीय संघवाद के कार्य को परिलक्षितकरता है, बल्कि भारत की बहु-स्तरीय शासन प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सुझावभी प्रदान करता है। साथ ही यह भविष्य की महामारियों या आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

2. भारत का संघीय ढांचा: एक वैधानिक परिप्रेक्ष्य- भारतीय संविधान ने एक अनूठे संघीय ढांचे की स्थापना की है, जिसे अक्सर "अर्ध-संघीय" के रूप में वर्णित किया जाता है (व्हियर, 1964)। यह विशेषता भारतीय संघवाद को विश्व के अन्य संघीय प्रणालियों से अलग करती है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची तीन सूचियां प्रदान करती है - संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची - जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करती हैं (राव, 1950)। 'स्वास्थ्य' राज्य सूची का विषय है, जबकि महामारी और संक्रामक रोगों की रोकथाम समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को इस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के अनुसार, राज्य सरकारें केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, और अनुच्छेद 257 केंद्र को राज्यों को निर्देश देने का अधिकार देता है (बसु, 2018)। इसके अलावा, अनुच्छेद 352, 356, और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधान केंद्र को असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने केस आर.सी. कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया1970) और एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया1994) जैसे मामलों में केंद्र की शक्तियों पर सीमाएं स्थापित की हैं।भारतीय संघवाद का लाचिलापन इसकी एक विशिष्ट विशेषता है, जो अक्सर "सहकारी संघवाद" के रूप में वर्णित की जाती है (भट्टाचर्जी, 2021)। यह अवधारणा जटिल मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर जोर देती है। सिंह (2018) के अनुसार, नीति आयोग की स्थापना और जीएसटी परिषद जैसे संस्थागत तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं।

हालांकि, झा(2019) ने तर्क दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय संघवाद की प्रकृति में बदलाव आया है, जिसमें केंद्र ने अधिक शक्तियां हासिल की हैं। इसने "प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद" के उदय को जन्म दिया है, जहां राज्य अपने अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह बदलती गतिशीलता कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी है।भारतीय संघवाद के अनूठे पहलुओं में से एक "अवशिष्ट शक्तियां" का सिद्धांत है, जो किसी भी सूची में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गए मामलों के लिए केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है (इजीकुर्रा, 2018)। यह प्रावधानकोविड-19 जैसी अप्रत्याशित आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां स्पष्ट अधिकार क्षेत्र की कमी देखी जा सकती है।

3. कोविड-19 महामारी: केंद्रीय बनाम राज्य शक्तियाँ- कोविड-19 महामारी ने भारत के संघीय ढांचे में केंद्रीय और राज्य शक्तियों के बीच एक जटिल संतुलन को उजागर किया। महामारी के प्रारंभिक चरणों में, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की (गौड एट अल. 2021)। इस निर्णय ने राज्यों की स्वायत्तता के बारे में प्रश्न उठाए, क्योंकि 'स्वास्थ्य' संविधान के तहत मुख्य रूप से राज्य सूचीका विषय है।

जैसा कि साहूऔर घोष (2021) ने अपने विश्लेषण में दर्शाया, महामारी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया एक *टॉप-डाउन*दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित थी, जिसमें केंद्र ने प्रमुख निर्णय लिए और राज्यों को उन्हें लागू करना था। हालांकि, जैसे-जैसे महामारी आगे बढ़ी, राज्यों ने अपनी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित करने के लिए अधिक लचीलेपन की मांग की। गौड एट अल. (2021) के अनुसार, इसने केंद्र और राज्यों के बीच एक गतिशील संतुलन को जन्म दिया, जिसमें अक्सर अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियों के बारे में अस्पष्टता थी।केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने शुरुआती अवस्था में अपने स्वयं के समाधान विकसित किए और बाद में इन्हें राष्ट्रीय नीतियों में शामिल किया गया (तिवारीएट अल. 2020)। उदाहरण के लिए, केरल के *"ब्रेक द चेन"* अभियान ने सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया (द हिन्दू 2020), जबकि महाराष्ट्र ने *"माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी"* (मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी) अभियान शुरू किया (इंडियन एक्सप्रेस, 2020)। ये पहल दर्शाती हैं कि कैसे राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार नवीन समाधान विकसित कर सकती हैं।

हालांकि, साहूऔर घोष (2021) ने महामारी के दौरान केंद्र-राज्य समन्वय में कई चुनौतियों का उल्लेख किया। उदाहरण के लिए, प्रवासी श्रमिकों के प्रबंधन और आवश्यक आपूर्ति श्रृंखलाओं के रखरखाव में अक्सर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी दिखाई देती थी। ये मुद्दे संकट के दौरान प्रभावी संघीय सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हैं।

जैसा कि घोष(2020) ने अपने विश्लेषण में दर्शाया, महामारी के दौरान केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव अक्सर राजनीतिक रेखाओं के साथ विभाजित था। विपक्ष-शासित राज्यों ने कभी-कभी केंद्र के निर्णयों का विरोध किया, जबकि सत्तारूढ़ दल-शासित राज्यों ने अधिक अनुपालन दिखाया। यह राजनीतिकरण संघीय व्यवस्था में सहयोग को कमजोर कर सकता है और महामारी के प्रभावी प्रबंधन में बाधा डाल सकता है।

अधिक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से, राव(2020) ने तर्क दिया है कि महामारी ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर बोझ डाला है। जीएसटी कलेक्शन में गिरावट और आर्थिक गतिविधियों में कमी ने राज्यों के राजस्व को प्रभावित किया, जिससे

वे केंद्रीय वित्तीय सहायता पर अधिक निर्भर हो गए। यह निर्भरता केंद्र की बढ़ती शक्ति का कारण बन सकती है और संघीय संतुलन को प्रभावित भी कर सकती है।

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की भूमिका- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 कोविड-19 महामारी के दौरान सरकारी प्रतिक्रिया का एक मुख्य आधार रहा है। यह अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) केंद्रीय संस्था है (आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005)।यह अधिनियम केंद्र को राष्ट्रीय आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें राज्यों को निर्देश देने और राष्ट्रव्यापी उपाय लागू करने की क्षमता शामिल है।

मार्च 2020 में, केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 6(2)(i) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कोविड-19 को एक "आपदा" घोषित किया (गृह मंत्रालय, 2020)। इस घोषणा ने केंद्र को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू करने और महामारी से निपटने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार दिया। जैसा कि चतुर्वेदी (2020) ने अपने विश्लेषण में बताया, यह पहली बार था जब इस अधिनियम का उपयोग इस तरह के व्यापक उपायों के लिए किया गया था, जिससे इसके प्रभाव और सीमाओं का परीक्षण हुआ।

जेम्स (2020) के अनुसार, हालांकि अधिनियम ने संकट के दौरान त्वरित और समन्वित कार्रवाई की अनुमति दी, लेकिन इसने केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र के संघर्ष को भी जन्म दिया। उदाहरण के लिए, कई राज्यों ने तर्क दिया कि केंद्रीय दिशानिर्देश उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नहीं थे और समायोजन की आवश्यकता थी। इन तनावों ने भारतीय संघवाद में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच सूक्ष्म संतुलन को उजागर किया।

महत्वपूर्ण रूप से, अधिनियम ने एक बहु-स्तरीय आपदा प्रबंधन ढांचा स्थापित किया, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के प्राधिकरण शामिल हैं। यह संरचना महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रियासे संबंधित रणनीतियों को अनुकूलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हालांकि, जैसा किओगरा एट अल.(2021) ने दर्शाया, इस अधिनियम की कुछ सीमाएंभी हैं। सबसे महत्वपूर्ण, यह राज्यों और स्थानीय निकायों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान नहीं करता, विशेष रूप से जब केंद्रीय निर्दशों का उनकी स्थानीय विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं के साथ टकराव हो रहा हो। इसके अलावा, अधिनियम में वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए स्पष्ट प्रावधानभी नहीं हैं, जिससे आपदा प्रतिक्रिया के वित्तपोषण में अनिश्चितता पैदा होती है।

संक्षेप में, आपदा प्रबंधन अधिनियम ने कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान कियाहै, लेकिन इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता थी। महामारी के अनुभव से प्राप्त सबक भविष्य की आपदाओं के लिए इस कानूनी ढांचे कोऔर अधिक मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।

5. राज्यों की स्वायत्तता बनाम केंद्रीय नियंत्रण- कोविड-19 महामारी ने भारतीय संघवाद के एक जिस मूलभूत तनाव को उजागर किया, वो है- राज्यों की स्वायत्तता बनाम केंद्रीय नियंत्रण का संतुलन। जेम्स (2020)ने अपने लेख में

दर्शायाकि प्रभावी महामारी प्रबंधन के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए राज्य-स्तरीय लचीलेपन की भी आवश्यकता होती है। यह दोहरी आवश्यकता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक जटिलता का कारण बनी।

महामारी के प्रारंभिक चरणों में, केंद्र ने मजबूत नेतृत्व प्रदर्शितकिया, जिसमें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा और विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। हालांकि, जैसे-जैसे महामारी आगे बढ़ी, राज्यों ने अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नीतियों को अनुकूलित करने के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। दत्ताऔरफिशर (2020) के अनुसार, राज्यों की भूमिका विशेष रूप से लॉकडाउन के बाद के चरणों में महत्वपूर्ण हो गई, जब स्थानीय *हॉटस्पॉट* और समुदाय-विशिष्ट रणनीतियों की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, केरल ने अपनी मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का लाभ उठाकर *माइक्रो-लेवल कंटेनमेंट* रणनीति अपनाई (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2020), वहीं ओडिशा ने अपने चक्रवात प्रबंधन अनुभव से सीखकर निकासी और राहत केंद्रों की स्थापना की (दासऔर मिश्रा, 2020)।

कुछ मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप आवश्यक था, विशेष रूप से जब आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति, अनुसंधान और टीकाकरण जैसे राष्ट्रीय संसाधनों के समन्वय की बात आती है। उदाहरण के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने परीक्षण प्रोटोकॉल और मानकों को सामंजस्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे गुणवत्ता और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित हुआ(पोन्नैया एट अल. 2021)।

विशेष रूप से विवादास्पद क्षेत्र प्रवासी श्रमिकों का प्रबंधन था। जैसा कि भार्गव (2020)ने अपनी रिपोर्ट में दर्शायाकिराष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लाखों प्रवासी श्रमिकों के अपने गृह राज्यों में वापस जाने का कारण बना, जिससे अंतर-राज्य समन्वय की आवश्यकता पैदा हुई। केंद्र ने श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाईं, लेकिन प्रवासियों के पंजीकरण, स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन का प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा किया गया। इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां आईं, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता का पता चला।

कोविड-19 महामारी ने भारतीय संघवाद के एक नए रूप को जन्म दिया, जिसे *"आपातकालीन संघवाद"* कहा जा सकता है (सेंको 2021), जहां केंद्र और राज्य सरकारें संकट के प्रबंधन के लिए अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करती हैं। इस परिवर्तन में, कुछ राज्यों ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि अन्य ने केंद्रीय निर्देशों पर अधिक निर्भरता दिखाई।

महामारी के दौरान वित्तीय संसाधनों का वितरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जैसा कि बुधवार (2021) ने अपने विश्लेषण में दर्शाया, राज्यों के राजस्व में कमी आई है, जबकि स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण पर खर्च बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप, कई राज्यों ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की मांग की है, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता पर दबाव पड़ा है।

संक्षेप में, महामारी ने भारतीय संघवाद में राज्यों की स्वायत्तता और केंद्रीय नियंत्रण के बीच एक नया संतुलन स्थापित किया है। यह संतुलनभविष्य के संकटों से निपटने के लिए भारतीय शासन प्रणाली की क्षमता को आकार दे सकता है।

6. नैतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव- कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय संघवाद के कार्य ने नैतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों की एक श्रृंखला उत्पन्न की है, जिनका विश्लेषण भविष्य की नीति और प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण है।

नैतिक दृष्टिकोण से, महामारी ने संघीय व्यवस्था में न्याय और समानता के प्रश्न उठाए हैं। जैसा कि मुखर्जी एट अल. (2020) ने अपने विश्लेषण में दर्शाया, विभिन्न राज्यों के बीच स्वास्थ्यसंबंधी बुनियादी ढांचे और संसाधनों में असमानताएंमहामारी के दौरान और अधिक स्पष्ट हो गईं। उदाहरण के लिए, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपेक्षाकृत मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के कारण बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये असमानताएं एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाती हैं: *क्या संघीय प्रणाली में नागरिकों को उनके मूल राज्य की परवाह किए बिना स्वास्थ्य और देखभाल की पहुंच समान होनी चाहिए?*

इस नैतिक दुविधा का समाधान करने के लिएसंघीय प्रणाली को न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए एकसमान तंत्र विकसित करने चाहिए, साथ ही राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित करने की स्वायत्तता भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार केसंतुलन को प्राप्त करना भारतीय संघवाद के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से, महामारी ने नौकरशाही की क्षमता और संघीय एवं राज्य स्तरों पर समन्वय तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण किया। कृष्णमूर्ति एट अल. (2021)के अनुसार, आईएएस अधिकारियों की दोहरीभूमिका – जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सेवा करते हैं – ने महामारी के दौरान महत्वपूर्ण संघीय कड़ी के रूप में कार्य कियाहै। हालांकि, श्रीवास्तव (2010) ने राज्य और स्थानीय नौकरशाहियों की क्षमता में महत्वपूर्ण अंतर भी पाए, जो सामान्यत:आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण की कमी से ग्रस्त थीं।

महामारी ने डिजिटल अभिशासन के महत्व को भी उजागर किया है। आरोग्य सेतु ऐप जैसी राष्ट्रीय डिजिटलपहलों ने डेटा संग्रह और विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (आहूजाऔर नायर, 2021)। हालांकि, इन पहलों ने राज्यों की डिजिटल क्षमता में असमानताओं को भी उजागर किया और गोपनीयता से संबंधितचिंताओं को बढ़ाया। भविष्य की आपातकालीन स्थितियों के लिएभी डिजिटल बुनियादी ढांचे के समान वितरण और राज्य एवं स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर देने की आवश्यकता है।

राजनीतिक रूप से, महामारी ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। महामारी के प्रारंभिक चरणों में केंद्र की प्रमुख भूमिका ने एक मजबूत केंद्र की ओर रुझान को स्थापितकिया है। हालांकि, जैसे-जैसे राज्यों ने स्थानीय प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व किया, उन्होंने अपने क्षेत्रों में अधिक स्वायत्तता का दावा किया। यह गतिशीलता भारतीय संघवाद के भविष्य को आकार दे सकती है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संबंधों का पुनर्संतुलन हो सकता है।

महामारी ने राजनीतिक दलों और नागरिक समाज की भूमिका को भी प्रभावित किया है। विपक्षी शासित राज्यों ने अक्सर केंद्रीय नीतियों का विरोध किया, जबकि शासक दल के नेतृत्व वाले राज्यों ने अधिक अनुपालन दिखाया। यह राजनीतिकरण संघीय सहयोग को कमजोर कर सकता है और एक चिंता का विषय है। हालांकि, सकारात्मक पहलू पर

बात करते हुए, सियेचऔर जौहर (2020) ने दर्शाया कि नागरिक समाज संगठनों ने अक्सर सरकारी स्तरों के बीच के अंतराल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सहयोगात्मक शासन के एक व्यापक मॉडल के महत्व को रेखांकित करता है।

महामारी से उत्पन्न हुए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियों को अनुकूलित करने के महत्व की बढ़ती स्वीकृति शामिल है।यह स्वीकृति भारतीय संघवाद को मजबूत कर सकती है, जिससे नीति निर्माण में अधिक क्षेत्रीयएवं स्थानीय भागीदारी और विविधता को बढ़ावा मिल सकता है।

वित्तीय संघवाद भी इस महामारी से प्रभावित हुआ है। इस संकट ने केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता को बढ़ाया है, विशेष रूप से जब राज्य राजस्व में गिरावट आई। यह स्थिति संघीय व्यवस्था में वित्तीय संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर जोर देती है, ताकि राज्यों की स्वायत्तता और वित्तीय स्थिरता दोनों सुनिश्चित हो सके।

संक्षेप में, महामारी के नैतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों ने भारतीय संघवाद के सामने आने वाली जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर किया है। इन प्रभावों का विश्लेषण भविष्य की नीतियों और सुधारों को आकार देने में मदद कर सकता है, जो भारत की संघीय प्रणाली को अधिक न्यायसंगत, कुशल और लचीला बना सकते हैं।

7. निष्कर्ष और सुझाव- कोविड-19 महामारी ने भारतीय संघीय ढांचे की मजबूती और अनुकूलनशीलता का परीक्षण किया है। इस पत्र के विश्लेषण से स्पष्ट है कि महामारी ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की जटिलताओं को उजागर किया है और भारतीय संघवाद के कुछ अंतर्निहित तनावों को प्रकट किया है। इस महामारी ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित किया है, जहां विभिन्न स्तरों की सरकारें एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करती हैं।

यह विश्लेषण बताता है कि महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं। केंद्र ने राष्ट्रीय नेतृत्व, समन्वय और संसाधन आवंटन प्रदान किया, जबकि राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों को लागू किया। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी सामने आईं, जिनमें स्पष्ट संवाद की कमी, संसाधनों के आवंटन में असमानताएं, और कभी–कभी राजनीतिक विचारधाराओं के कारण तनाव भी शामिल है।

भविष्य की महामारियों या आपदाओं से निपटने के लिए भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत करने हेतु, निम्नलिखित सुझावों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है:

*प्रथम,*आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट अधिकार क्षेत्र स्थापित किया जा सके, विशेष रूप से स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए। यह संशोधन राज्यों को अधिक स्पष्ट स्वायत्तता प्रदान कर सकतेहैं जबकि राष्ट्रीय महत्व के मामलों में केंद्र की भूमिका को संरक्षित रख सकते हैं।

*द्वितीय,*अंतर–राज्य परिषद और नीति आयोग जैसे संस्थागत तंत्रों को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। ये मंच आपात स्थितियों के दौरान नियमित और सार्थक संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे सूचना साझा करने और सहयोगात्मक निर्णय लेने को बढ़ावा मिलेगा।

*तृतीय,*महामारी प्रबंधन के लिए एक विशेष वित्तीय तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इसमें राज्यों के लिए एक आपातकालीन धन शामिल हो सकता है, जिसे महामारी के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह तंत्र वित्तीय संसाधनोंकी समय पर पहुंच सुनिश्चित करसकेगा और राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार धन का उपयोग करने का लचीलापनप्रदान करेगा।

*चतुर्थ,*डेटा साझाकरण और पारदर्शिता में सुधार किया जाना चाहिए।एक एकीकृत राष्ट्रीय स्वास्थ्य डेटा प्लेटफॉर्म सटीक और समय पर सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। यह प्लेटफॉर्म महामारी के प्रसार, संसाधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवा क्षमता के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकता है।

*पंचम,*सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य एवं देखभालके स्तर पर। क्योंकि मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्यएवं देखभाल प्रणाली महामारी की प्रारंभिक पहचान और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए।

*षष्ठ,*स्थानीयस्वशासन को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। कोविड–19 के अनुभव से पता चला है कि जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थाएं महामारी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभासकती हैं। इन स्थानीय संस्थाओं को अधिक अधिकार और संसाधन दिए जाने चाहिए ताकि वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें।

सप्तम, महामारी प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केरल और ओडिशा के अनुभवों से पता चला है कि सामुदायिक स्तर पर जागरूकता और भागीदारी महामारी के प्रभावी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को समुदाय–आधारित संगठनों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करनी चाहिए।

उपरोक्त सुझावों के कार्यान्वयन से भारतीय संघीय ढांचे की प्रतिरोधक क्षमताऔर अधिक मजबूत होगी और भारतीय संघीय ढांचा भविष्य की महामारियों या आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होगा। कोविड–19 महामारी से प्राप्त सबक भारतीय शासन प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रतिक्रियाशील और लचीला बनाने में मदद कर सकते हैं।

अंत मेंयह कहा जा सकता है किभारतीय संघवाद की सफलता इसकी अनुकूलनशीलता और लचीलेपन में निहित है। कोविड–19 महामारी ने भारतीय संघीय प्रणाली की कुछ कमियों को उजागर किया है, लेकिन साथ ही इसकी मजबूती और प्रतिरोधक क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इन अनुभवों से सीखकर, भारत अपने संघीय ढांचे को और अधिक मजबूत कर सकता है साथ ही भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकता है।

संदर्भ सूची

1. आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005), भारत सरकार, https://nidm.gov.in/PDF/laws/DMAct2005 Hindi.pdf
2. आहूजा, वनिता और नायर, लक्ष्मी वी. (2021), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोविड एरा, जर्नल ऑफ अनेस्थेसिओलॉजी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, 37(1): पेज 28–34, https://doi.org/10.4103/joacp.JOACP_558_20

3. इंडियन एक्सप्रेस (2020), महाराष्ट्र कोरोनावायरस हाइलाइट्स: टैली क्रोसेस10.97 लाख; डेथ्स गो पास्ट 30,000, सितम्बर 17, मुंबई, https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-coronavirus-live-updates-mumbai-pune-thane-news-cases-deaths-recoveries-6596528/
4. इजीकुर्रा, आर. (2016), इज गवर्नमेंट डिसेंटरलाईज़ेशन यूजफुल इन द फाइट अगेंस्ट डॉमेस्टिक टेररिज्म? ए क्रॉस-कंट्री एनालिसिस, एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग सी: पॉलिटिक्स एंड स्पेस, 35(5), 872-897, https://doi.org/10.1177/0263774X16665363
5. ओगरा एट अल. (2021), एक्सप्लोरिंग द गैप बिटवीन पॉलिसी एंड एक्शन इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन: ए केस स्टडी फ्रॉम इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 63 (102428), https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102428
6. कृष्णमूर्ति एट अल. (2021), द पेंडेमिक एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: ए सर्वे ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (आईएएस) ऑफिसर्स, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, https://cprindia.org /briefsreports/the-pandemic-and-public-administration-a-survey-of-indian-administrative-service-ias-
officers/#:~:text=The%20Covid%2D19%20pandemic%20has,state%20response%20at %20 different%20levels.
7. गृह मंत्रालय (2020), ऑर्डर नंबर 40-3/2020-DM-I(A), भारत सरकार, https://www.mha.gov.in /sites/default/files/MHAorder%20copy0.pdf
8. गौड एट अल. (2021), कोविड-19 एंड द लेजिस्लेटिव रेस्पोंस इन इंडिया: द नीड फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर लॉ, जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स, 21(4):e2669. https://doi.org/ 10.1002/pa.2669
9. घोष, अंबर कुमार (2020), इम्पेरेटिव ऑफ सेंट्र-स्टेट कोऑपरेशन ऑन कोविड19, आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, https://www.orfonline.org/research/imperative-of-centre-state-cooperation-on-covid19 -67214
10. चतुर्वेदी, सुमित (2020), पेंडेमिक एक्सपोजेस वीकनेस इन इंडिया'ज़ डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स, द हिन्दू सेंटर फॉर पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी, https://www.thehinducentre.com/the-arena/current-issues/article32502100.ece
11. जेम्स, केविन (2020), कोविड-19 एंड द नीड फॉर क्लियर सेंटर-स्टेट रोल्स, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, https://vidhilegalpolicy.in/blog/covid-19-and-the-need-for-clear-centre-state-roles/
12. झा, पी. सी. (2019), करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन इंडियन फेडरलिज़्म, इंडियन जर्नल ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 65(2), 377-389, https://doi.org/10.1177/0019556119844591
13. तिवारी एट अल. (2020), कम्पेरिंग द एक्शंस ऑफ़ महाराष्ट्रा एंड केरलागवर्नमेंट्स इन मिटिगेटिंग द कोविड-19 पेंडेमिक, डिजास्टर एंड डेवलपमेंट, 9(1), 45 -64, https://nidm.gov.in/journal/PDF/Journal/Journal2020/Journal2020d.pdf

14. द हिन्दू (2020), 'लेट दिस अलर्टनेस कंटिन्यू' इवन आफ्टर लॉकडाउन, अप्रैल 29, थिरुवनंतपुरम, https://www.thehindu.com/news/national/kerala/let-this-alertness-continue-even-after-lockdown/article31466962.ece
15. दत्ता, अन्वेषा औरफिशर, हैरी डब्ल्यू. (2020), दलोकल गवर्नेंस ऑफ़ कोविड-19: डिजीज प्रिवेंशन एंड सोशल सिक्योरिटीइनरूरल इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट, 138(105234), https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105234
16. दास, अमरेंद्र और मिश्रा, सुब्रत के (2020), ओडिशा'ज फाइट अगेंस्ट कोविड-19, https://azimpremjiuniversity.edu.in/response-to-covid-19-upc-series/odishas-fight-against-covid-19.
17. देशपांडे एट अल. (2018), "स्टेट्स अस लैबोरेट्रीज: द पॉलिटिक्स ऑफ़ सोशल वेलफेयर पॉलिसीस इन इंडिया", चंचल कुमार शर्मा और विलफ्रेड स्वेनडेन (संपादक) *अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परारी इंडियन फेडरलिज़्म* (प्रथम संस्करण, पृ. 21), रूटलेज, https://doi.org/10.4324/9781351259729.
18. पोन्नैया एट अल. (2021), कोविड-19 टेस्टिंग, टाइमलाइन्स एंड पाजिटिविटी फ्रॉम आईसीएमआर'स लेबोरेटरी सर्विलांस नेटवर्क इन इंडिया: प्रोफाइल ऑफ़ 176 मिलियन इंडिवीडुअल्स टेस्टेड एंड 188 मिलियन टेस्ट्स, मार्च 2020 टू जनवरी 2021, पोल्स वन, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260979
19. बसु, डी. डी. (2018), कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेक्सिस नेक्सिस.
20. बुधवार, यश (2021), स्टेट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ड्यूरिंग कोविड-19, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, https://www.ispp.org.in/state-of-public-finance-in-india-during-covid-19/
21. भट्टाचर्जी, रुक्मिणी (2021), कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया एंड कोविड-19, आईआईपीए डाइजेस्ट, https://www.iipa.org.in/cms/public/uploads/524201643364876.pdf.
22. भार्गव, युथिका (2020), कोरोनावायरस लॉकडाउन । रेलवेज टू रन 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेन्स टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स, अदर स्ट्रेन्डेड पर्सन्स, द हिन्दू, मई 1, https://www.thehindu.com/news/national/ railways-to-run-shramik-special-trains-to-move-migrant-workers-other-stranded-persons/article 31481996.ece
23. मुखर्जी एट अल. (2020), वल्नेरेबिलिटी ऑफ मेजर इंडियन स्टेट्स ड्यू टू कोविड-19 स्प्रेड एंड लॉकडाउन, इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज कोलकाता, https://idsk.edu.in/wp-content/uploads/ 2020/06/covid_subrata_final.pdf
24. राव , टी. एस. एन. (1950), डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ लेजिस्लेटिव पावर्स इन द कंस्टीटूशन ऑफ़ इंडिया, द इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 11(4), 43-47. http://www.jstor.org/stable/ 42743255
25. राव, एम. गोविंदा (2020), स्टेट्स' लॉस ऑफ फिस्कल ऑटोनोमी इन ए सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम, द इंडिया फोरम, https://www.theindiaforum.in/article/states-loss-fiscal-autonomy-centralised-federal-system
26. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन(2020), रेस्पॉन्डिंग टू कोविड-19- लर्निंग्स फ्रॉम केरला, https://www.who.int/india/news-room/feature-stories/detail/responding-to-covid-19---learnings-from-kerala

27. व्हियर, के. सी. (1964). फेडरल गवर्नमेंट. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
28. श्रीवास्तव, कल्पना (2010), डिजास्टर चैलेंजेज एंड पर्सपेक्टिव्स, इंडस्ट्रीयल साइकाइट्री जर्नल 19(1):p 1-4, https://doi.org/10.4103/0972-6748.77623
29. साहू, एन. और घोष, ए. के. (2021), द कोविड-19 चैलेंज टू इंडियन फेडरलिज्म, आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, https://www.orfonline.org/public/uploads/posts/pdf/20230817125735.pdf
30. सिंह, ए.के. (2018), द यूनियन मॉडल ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, 50 शेड्स ऑफ़ फेडरलिज़्म, http://50shadesoffederalism.com/case-studies/union-model-indian-federalism/
31. सियेच, मोहम्मद सिनान और जौहर, नवीदा (2020), सिविल सोसाइटी एंड कोविड-19 इन इंडिया: अनअज्यूमिंग हीरोज, मिडिल ईस्ट इंस्टिट्यूट, https://www.mei.edu/publications/civil-society-and-covid-19-india-unassuming-heroes
32. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (1970), आर. सी. कूपर बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, एआईआर 1970 एससी 564. https://indiankanoon.org/doc/513801/.
33. सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया (1994), *एस. आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया, ए आईआर* 1994 *एससी* 1918, https://indiankanoon.org/doc/60799/
34. सेंको, डियाना (2021), कोविड-19: ए ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स गुड गवर्नेंस?, फोरम ऑफ़ फेडरेशंस, https://forumfedblog.org/covid-19-a-driving-force-toward-good-governance-2/